भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1050
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

बाल एवं मातृ पोषण योजनाएँ

1050. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त पोषण संबंधी कमियों के अनुरूप कोई विशेष पोषण दिशा-निर्देश/भोजन योजना विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम/आंगनवाड़ी आधारित पोषण सहायता के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में बाल एवं मातृ पोषण योजनाओं हेतु आवंटित, जारी/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में वितरण का जिला-बार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कुपोषण को कम करने में इन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उक्त राज्य में कोई प्रभाव आकलन अध्ययन/पोषण सर्वेक्षण आयोजित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राज्य में ग्रामीण और जनजाति केंद्रों/विद्यालयों में आपूर्ति श्रृंखला में देरी, खाने की निम्न गुणवत्ता/प्रशिक्षित पोषण कार्मिकों की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): मिशन पोषण 2.0 के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित और अपग्रेड किया गया है। पुराने मानदंड मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; हालाँकि, संशोधित मानदंड पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन (मोटे अनाज: दालों का अनुपात कम से कम 2:1), स्वस्थ वसा और 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) शामिल हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन और टेक-होम राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट(मोटे अनाज) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम - सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम 2022 जारी किए, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रसव के छह महीने बाद तक और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके।

मिशन 2.0 को महाराष्ट्र के सभी आदिवासी क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख): महाराष्ट्र के सभी जिलों में मिशन 2.0 के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या https://www.poshantracker.in/statistics. लिंक पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक I** में है।

(ग): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को प्रदान की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) एक दीर्घ पैमाने पर, बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है जो सम्पूर्ण भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने पर किया जाता है। यह प्रजनन, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन के अभ्यास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, रक्ताल्पता, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरे ने भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	बौनापन%	अल्पवजन%	दुबलापन %
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस -3 (2005-06)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3
पोषण ट्रैकर (अक्टूबर 2025)***	33.54	14.41	5.03

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपरोक्त एनएफएचएस डेटा और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से महाराष्ट्र राज्य सहित सम्पूर्ण देश में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

महाराष्ट्र राज्य में बच्चों में कुपोषण संकेतकों पर अधिक जानकारी पोषण ट्रैकर पर https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

2021 में, विश्व बैंक ने कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की प्रदायगी का आकलन करने के लिए 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (महाराष्ट्र सहित) में एक सर्वेक्षण किया। निष्कर्षों से पता

चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ - प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह दौरे और सामुदायिक कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

नीति आयोग द्वारा 2020 में पोषण अभियान के लिए और 2025 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया और पाया गया कि महाराष्ट्र सहित देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक है।

(ङ): महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत निर्बाध पोषण प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन 1 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत तकनीक का उपयोग बच्चों में बौनेपन, दुबलेपन और अल्प वज़न की व्याप्तता की सटीक पहचान के लिए किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियाँ, बच्चों की वृद्धि निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं), वृद्धि माप इत्यादि के लिए लगभग तत्समय डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की है।
- सेवा प्रदायगी की अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने टेक-होम राशन के वितरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) विकसित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थी को ही दिया जाए।
- आज तक, बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है, जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में कुल 14,475 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। यह मिशन महिला एवं

बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। 30 नवंबर 2025 तक, देश भर में प्रधानमंत्री जनमन के तहत कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री जनमन के तहत कुल 178 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक के जनजातीय गांवों में जनजातीय परिवारों की संतृप्ति कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के एक व्यापक मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों (अर्थात्, जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक) को प्रशिक्षित किया जाता है, और मास्टर प्रशिक्षक आगे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण देते हैं। 30 नवंबर 2025 तक, देश भर में 8,95,814 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य में इस पहल के अंतर्गत कुल 88,652 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है।

****

अनुलग्नक-I

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील तथा श्री भास्कर मुरलीधर भगरे द्वारा पूछे गए "बाल एवं मातृ पोषण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 1050 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय जिलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम/आंगनवाड़ी आधारित पोषण सहायता के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की जिलावार संख्या

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (जिसे पहले "मध्याह्न भोजन योजना" के नाम से जाना जाता था) 1995 से महाराष्ट्र में क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसा/मकतबा और एसटीसी (एनसीएलपी) में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्र आते हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 के छात्रों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन और कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। इस पहल के तहत राज्य में मुख्य सामग्री के रूप में चावल, बाजरा, ज्वार, चना और सोयाबीन से बने पाँच प्रकार के पौष्टिक स्लाइस और अन्य सामग्रियां वितरित की गई हैं।

ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में पोषण सहायता के अंतर्गत कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या (प्रति वर्ष)-

वर्ष 2023-24- 1215016 लाभार्थियों को 75 दिनों के लिए लाभ दिया गया।

वर्ष 2024-25- 1215016 लाभार्थियों को 42 दिनों के लिए लाभ दिया गया।

वर्ष 2025-26- प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या 1475530 है, जिन्हें 40 दिनों के लिए लाभ दिया जाएगा (प्रक्रियाधीन)

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	कक्षा 1 से 5 तक	कक्षा 6 से 8	कुल
1	अमरावती	चिखलदरा और धरनी	22546	10279	32825
2	पुणे	अम्बेगांव और जुन्नार	5448	2684	8132

3	नासिक	कलवन, सुरगाना, बगलान, पेठ, डिंडोरी, इगतपुरी, नासिक और त्र्यंबकेश्वर	98182	50043	148225
4	नंदुरबार	सभी ब्लॉक	115448	0	115448
5	धुले	शिरपुर तथा सकरी	34627	15093	49720
6	गढ़चिरोली	सभी ब्लॉक	59597	30734	90331
7	चंद्रपुर	राजुरा, कोरपना और जिवती	16230	9716	25946
8	पालघर	सभी ब्लॉक	125656	108845	234501
9	ठाणे	मुरबाड़, भिवंडी तथा शाहपुर	28705	13618	42323
10	नांदेड़	किनवट तथा माहुर	12429	6094	18523
11	जलगांव	रावेर	31634	1093	32757
12	अहिल्यानगर	अकोले	7938	2719	10657
13	यवतमाल	सभी ब्लॉक	13558	102501	116059
14	धाराशिव	सभी ब्लॉक	103777	65829	169606
15	वाशिम	सभी ब्लॉक	70688	49275	119963
कुल			**746493**	**468523**	**1215016**

अनुलग्नक-II

'बाल एवं मातृ पोषण योजनाएँ' के संबंध में श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील तथा श्री भास्कर मुरलीधर भगरे द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न संख्या 1050 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

करोड़ रुपए

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2022-2023**	**वित्तीय वर्ष 2023-2024**	**वित्तीय वर्ष 2024-2025**
महाराष्ट्र	1646.17	1699.52	1368.84

*****